International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2026; 8(1): 03-07
Received: 06-11-2025
Accepted: 08-12-2025

माया मिश्रा
शोध छात्रा शिक्षा, लाइफ लॉंग लर्निंग विभाग, अवधेश प्रताप सिंह वि.वि., रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

डॉ. पतंजलि मिश्र
प्राचार्य, श्याम आदर्श शिक्षा महाविद्यालय, पुरैना, जिला रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
माया मिश्रा
शोध छात्रा शिक्षा, लाइफ लॉंग लर्निंग विभाग, अवधेश प्रताप सिंह वि.वि., रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

माध्यमिक विद्यालयों में संचालित समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन का छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव अध्ययन

माया मिश्रा, डॉ. पतंजलि मिश्र

DOI: https://www.doi.org/10.22271/multi.2026.v8.i1a.888

सारांश
इस शोध पत्र के द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में संचालित समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन का छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है। न्यादर्श के रूप में चयनित रीवा जिले के 2 शहरी – 2 ग्रामीण माध्यमिक विद्यालय कुल 36 विद्यालयों, प्रत्येक विद्यालय के प्राचार्य, 2–2 शिक्षक कुल 72 शिक्षक, 2–2 अभिभावक, कुल 72 अभिभावक तथा प्रत्येक विद्यालय से 20 छात्र व 20 छात्राएं कुल 1440 विद्यार्थियों का चयन दैव निदर्शन पद्धति से अध्ययन हेतु किया गया है। शोध क्षेत्र में समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन न केवल छात्रों की शैक्षणिक क्षमताओं को उन्नत कर रहा है, बल्कि यह शैक्षणिक प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी और मनोवैज्ञानिक विकास को भी प्रेरित कर रहा है। यह जानकारी यह भी दर्शाती है कि शिक्षण विधि में नवाचार और समावेशिता का संतुलित उपयोग दीर्घकालिक रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अध्ययन के मुताबिक, 0.01 विश्वास स्तर पर मानक मान 2.58 और 0.05 विश्वास स्तर पर मानक मान 1.96 निर्धारित है, जबकि इस शोध में प्राप्त सांख्यिकीय मान मात्र 0.30 पाया गया, जो इन दोनों विश्वास स्तरों के निर्धारित मानकों से कम है। इससे स्पष्ट होता है कि अनुसंधान क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में संचालित समावेशी शिक्षा का छात्र और छात्राओं के अधिगम स्तर पर पड़े प्रभाव में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं देखा गया।

कुटशब्दः रीवा जिला, माध्यमिक विद्यालय, समावेशी शिक्षा, अधिगम स्तर

1. प्रस्तावना
भारत समेत दुनिया के कई देशों में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 यह सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षा सभी के लिए समान और सुलभ होनी चाहिए। हालांकि, व्यावहारिक स्तर पर देखा जाए तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अक्सर मुख्यधारा की शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। इस समस्या का समाधान समावेशी शिक्षा के रूप में सामने आता है।

समावेशी शिक्षा का तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है, जहां प्रत्येक विद्यार्थीकृभले ही वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक या भाषाई किसी भी प्रकार की भिन्नता रखता होकृको समान रूप से स्वीकार किया जाए और उसे शिक्षा पाने का अधिकार प्रदान किया जाए। इस प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक ही वह कड़ी है जो कक्षा में शिक्षण तरीकों को बदलने, पाठ्यक्रम को अधिक लचीला बनाने और विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को आत्मविश्वास के साथ सीखने का अवसर सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है।

समावेशी शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को मुख्यधारा के विद्यालयों में अन्य सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ने–लिखने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करती है। यह व्यवस्था इन विद्यार्थियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए एक बाधारहित और समावेशी विद्यालयी वातावरण तैयार किया जाता है। इसके अलावा, समाज में वंचित वर्ग के बच्चों को मुख्यधारा के विद्यालयों में पढ़ाई के लिए सम्मिलित किया जाता है।

समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन का छात्रों के अधिगम स्तर पर व्यापक और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो केवल शिक्षा के मानक को ऊंचा उठाने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास को भी बढ़ावा देता है। यह न केवल विकलांग और गैर–विकलांग छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को सुधारता है, बल्कि उनके बीच सामाजिक सामजस्य और सहयोग की भावना को भी प्रबल बनाता है। ऐसे माहौल में, जहां विविधता का सम्मान किया जाता है और प्रत्येक छात्र की अद्वितीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिगम के अवसर प्रदान किए जाते हैं, छात्रों का आत्म–सम्मान बढ़ता है और उनके भावनात्मक जुड़ाव में भी सुधार होता है। इसके परिणामस्वरूप न केवल बेहतर शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित होती है, बल्कि यह उन्हें एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार

करती है जो नई चुनौतियों का सामना करने के लिए आधुनिक समय की मांगों के अनुसार योग्य और सशक्त बनाती है।

2. अध्ययन की आवश्यकता

समावेशी शिक्षा का बड़ा उद्देश्य यह है कि इन सभी छात्रों को प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें ऐसी सामान्य विद्यालयी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया जाए, जहां वे सिर्फ अकादमिक ज्ञान ही नहीं बल्कि सामाजिक गुणों को भी आत्मसात कर सकें। यह प्रयास न केवल उनकी शैक्षणिक क्षमताओं को निखारने में मदद करता है, बल्कि उन्हें एक सकारात्मक सामाजिक वातावरण प्रदान करता है। इससे उनके चरित्र और व्यक्तित्व का स्वाभाविक और समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। इस उपाय के तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने व्यक्तिगत गुणों और क्षमताओं के अनुरूप आगे बढ़ने और समाज में अपनी पहचान स्थापित करने का अवसर प्राप्त हो। शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध कार्य न केवल रीवा जिले वरन् सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में संचालित समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन का छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का आकंलन किया जा सकेगा तथा ऐसे सुझाव शोध कार्य के उपरान्त दिये जा सकेंगे जिनका प्रयोग कर राज्य सरकार माध्यमिक विद्यालयों में संचालित समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन का छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रभावी ढंग से विकसित करने में समर्थ हो सकता है।

3. उद्देश्य

प्रस्तुत शोध कार्य निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान मे रखकर किया गया है:–

1. समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन से प्रभावित छात्रों एवं छात्राओं के अधिगम स्तर (शैक्षिक सफलता, समझने की क्षमता आदि) पर हुए प्रभावों का विस्तृत अध्ययन करना।
2. शोध क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में संचालित समावेशी शिक्षा के फलस्वरूप अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं के अधिगम स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।

4. शोध की परिकल्पनाएँ

परिकल्पना शोध प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसे शोध समस्या तथा उसके समाधान के बीच एक आवश्यक सेतु माना जाता है। परिकल्पना का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी विशिष्ट समस्या के संभावित हल के बारे में पहले से ही अनुमान लगाया जाता है। यह एक प्रकार का वैचारिक पूर्वानुमान होता है जिसे किसी विशेष घटना या सामान्य परिस्थिति के संदर्भ में निर्मित किया जाता है। इसके आधार पर शोधकर्ता तथ्य और साक्ष्यों को एकत्रित करते हैं ताकि परिकल्पना की प्रामाणिकता और सार्थकता की जांच की जा सके। इस प्रक्रिया के माध्यम से गहन विश्लेषण और निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जो समस्या समाधान की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। परिकल्पना न केवल अनुसंधान को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करती है, बल्कि यह शोध के विभिन्न चरणों को व्यवस्थित करने में भी सहायक होती है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी का पूर्वानुमान परिकल्पनाओं के रूप में निम्नवत् है:–

1. "शोध क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में संचालित समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन का छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।"
2. "शोध क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में संचालित समावेशी शिक्षा के फलस्वरूप अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं के अधिगम स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।"

5. शोध समस्या का सीमांकन

प्रस्तुत शोध कार्य का क्षेत्र जिला रीवा है। इसके अन्तर्गत 9 विकासखण्ड – रीवा, रायपुर कर्चुलियान, सिरमौर, जवा, हनुमना, गंगेव, त्यौथर, नईगढ़ी एवं मऊगंज हैं। अतः जिला अन्तर्गत स्थित माध्यमिक विद्यालयों में संचालित समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन का समीक्षात्मक अध्ययन के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए है।

6. शोध विधियाँ

शोध कार्य को संपूर्णता प्रदान करने हेतु कई प्रकार की शोध विधियों का उपयोग किया जाता है। शोध विधियों के मुख्य प्रकार ऐतिहासिक, वर्णनात्मक एवं प्रयोगात्मक है। शोध कार्य के अनुरूप प्रत्येक शोध विधि की अपनी विशेषताएँ एवं उपयोगिता है। शैक्षिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रस्तुत शोध कार्य मुख्य रूप से सर्वेक्षणात्मक (वर्णनात्मक) होगा। शोध अध्ययन में निम्नलिखित विधियों एवं उपकरणों का उपयोग किया गया है –

6.1 सर्वेक्षण विधि – प्राथमिक स्त्रोतों से प्रदत्तों के संकलन एवं पूर्व संचालित प्रदत्तो के सत्यापन हेतु शोध क्षेत्र के माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों का सर्वेक्षण किया गया है।

6.2 सांख्यिकी विधि – प्रयुक्त शोध उपकरणों से प्राप्त प्रदत्तों के सारणीयन के उपरान्त आवश्यकतानुसार माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, दो चरों में सार्थक अन्तर के आंकलन हेतु मध्यमान विचलन, टी–परीक्षण जैसी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया है।

शोध उपकरण

प्रस्तुत शोध हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार व प्रश्नावली पत्रक का उपयोग किया गया है।

7. न्यादर्श चयन

अनुसंधान तथा शोध के प्रयोग का प्रारूप न्यादर्श की प्रविधि पर आधारित होता है। एक उत्तम प्रकार के शोध कार्य में न्यादर्श तथा उसकी जनसंख्या संबंधी समस्त सूचनाओं को दिया जाता है। शोध कार्य को सार्थक करने के लिए न्यादर्श का चयन किया जाता है। न्यादर्श के रूप में चयनित रीवा जिले के 2 शहरी – 2 ग्रामीण माध्यमिक विद्यालय कुल 36 विद्यालयों, प्रत्येक विद्यालय के प्राचार्य, 2–2 शिक्षक कुल 72 शिक्षक, 2–2 अभिभावक, कुल 72 अभिभावक तथा प्रत्येक विद्यालय से 20 छात्र व 20 छात्राएं कुल 1440 विद्यार्थियों का चयन दैव निदर्शन पद्धति से साक्षात्कार हेतु किया गया है। इस प्रकार यह अध्ययन दोनों दृष्टियों से सैद्धान्तिक एवं अनुभवाश्रित परिपूर्ण होगा।

8. पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों का विवरण

किसी भी शोध कार्य को सोद्देश्य तथा अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि शोधार्थी अपनी शोध समस्या के समरूप पूर्व में किए गये अन्य शोध कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ले। इसी दृष्टिकोण से शोधार्थी ने माध्यमिक विद्यालयों में संचालित समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन का छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन पर किये गये कुछ प्रमुख तथा सहज रूप से उपलब्ध पूर्व शोध अध्ययनों के विषय–वस्तु की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। संक्षेप में उनका विवरण निम्न है – कपूर, सुमिता एवं अग्रवाल, देवेन्द्र कुमार (2024)[5], कपिल, एच.के. (1996)[2], अग्रवाल, आर. एवं अरीना, विपिन (1989)[3], खुल्लर, के. के. (1988)[4], गुप्ता, एस.पी. (1997)[5], त्रिवेदी, रोहित कुमार (2025)[6], गुप्ता, सुनील कुमार एवं मिश्र, पतंजलि (2023)[7], शर्मा दिलीप कुमार (2020)[8], कुंडु, ए., एवं राइस, एम. (2019)[9], जैन,

दीपक (2025)[10] एवं पांडा, एस.एस., मल्ला, एल., एवं पुहां, आर. आर. (2023)[11]।

9. शोध क्षेत्र का परिचय

जिला रीवा मध्य प्रदेश के उत्तरी–पूर्वी कोने में स्थित है। रीवा का नामकरण नर्मदा नदी के दूसरे नाम 'रेवा' पर आधारित है। रीवा नगर का नाम पहले शायद 'रेवा' रखा गया था। उसी का बिगड़ा रूप अब रीवा बन गया है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश के बांदा एवं इलाहाबाद जिले, पूर्व तथा पूर्व–उत्तर में उत्तर प्रदेश का ही मिर्जापुर जिला, दक्षिण में अपने राज्य का सीधी जिला और दक्षिण–पश्चिम तथा पश्चिम में सतना जिला है। इसका आकार लगभग त्रिभुज के समान है। इसका विस्तार 24.18^0 उत्तरी अक्षांश से 25^0 उत्तरी अक्षांश तथा 81.2^0 पूर्वी देक्षांश से 82.18^0 पूर्वी देक्षांश के मध्य है। रीवा जिले का क्षेत्रफल 6287 वर्ग किलोमीटर है।

10. परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थों में तभी प्रतिबिम्बित होता है, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाय। इसके लिये यह आवश्यक है, कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयोग किये गये समस्त शोध उपकरणों द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया जाय, निम्नानुसार है–

माध्यमिक विद्यालयों में संचालित समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन का छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन

परिकल्पना क्र. 1 : शोध क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में संचालित समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन का छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।"

सारणी 1 : शोध क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में संचालित समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन का छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन

क्र.	न्यादर्श में चयनित	न्यादर्श में चयनित संख्या	माध्यमिक विद्यालयों में संचालित समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन का छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर पर सकारात्मक प्रभाव					
			पड़ रहा है		नही पड़ रहा है		पता नही	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	प्राचार्य	36	30	83.33	06	16.67	00	00
2.	शिक्षक	72	62	86.11	04	5.56	06	8.33
3.	अभिभावक	72	55	76.39	10	13.89	07	9.72
4.	छात्र	1440	1132	78.61	118	8.19	190	13.19
योग		1620	1279	78.95	138	8.52	203	12.53
काई वर्ग (χ^2)			$\chi^2 = 1520.91$					
'पी' मान			0.05 एवं 0.01 स्तर पर सार्थक					

स्वतंत्रता के अंश 2
0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु मान 5.99
0.01 स्तर पर सार्थकता हेतु मान 9.21

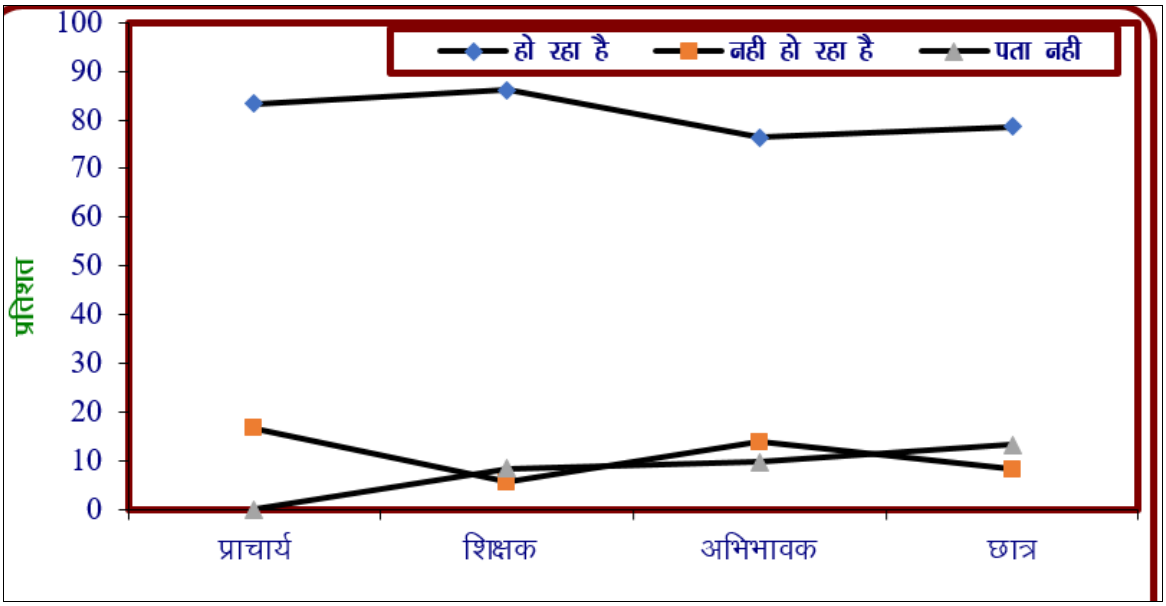

आरेख 1: माध्यमिक विद्यालयों में संचालित समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन का आरेखीय निरूपण

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त सारणी क्रमांक – 1 में न्यादर्श में चयनित सभी विकासखण्डों से 2 शहरी – 2 ग्रामीण माध्यमिक विद्यालय कुल 36 विद्यालयों का चयन दैव निदर्शन द्वारा अध्ययन हेतु किया गया है। चयनित विद्यालयों से प्राचार्य, 2–2 शिक्षक कुल 72 शिक्षक, 2–2 अभिभावक, कुल 72 अभिभावक तथा प्रत्येक विद्यालय से 20 छात्र व 20 छात्राएं कुल 1440 विद्यार्थियों का चयन दैव निदर्शन पद्धति से साक्षात्कार हेतु किया गया है। इस प्रकार यह अध्ययन दोनों दृटियों से सैद्धान्तिक एवं अनुभवाश्रित परिपूर्ण होगा। इन विद्यार्थियों से शोध क्षेत्र के माध्यमिक

विद्यालयों में संचालित समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन का छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर से संबंधित जानकारी एकत्र की गई। अध्ययन का उद्देश्य यह जानना था कि छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है और क्या यहाँ छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर पर सकरात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

उपरोक्त सारणी क्रमांक – 1 के ऑकड़े यह दर्शाते हैं, कि शोध क्षेत्र के 83.33 प्रतिशत प्राचार्य, 86.11 प्रतिशत शिक्षक, 76.39 प्रतिशत अभिभावक व 78.61 प्रतिशत छात्रों का अभिमत है कि शोध क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में संचालित समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन का छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

न्यादर्श में चयनित 1620 अभिमतदाताओं में से 78.95 प्रतिशत अभिमत है कि शोध क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में संचालित समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन का छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, 8.52 प्रतिशत अभिमत है कि सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जबकि 12.53 प्रतिशत अभिमत है कि इस संबंध में पता नही।

इसी प्रकार तीनों समूहों के मध्य सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक अन्तर नहीं है, क्योंकि गणना से प्राप्त 'काई' वर्ग का मान 1520. 91 आया है, जो कि 0.05 एवं 0.01 सार्थकता स्तर एवं स्वतंत्रता के अंश 2 पर सारणी के मान क्रमशः 5.99 एवं 9.21 से अधिक है अर्थात सार्थक है। अतः परिकल्पना स्वीकृत होती है।

परिकल्पना 2 : "शोध क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में संचालित समावेशी शिक्षा के फलस्वरूप अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं के अधिगम स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।"

सारणी 2: माध्यमिक विद्यालयों में संचालित समावेशी शिक्षा के फलस्वरूप अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं के अधिगम स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन

समूह		छात्र	छात्राएं
समूह की संख्या (N)		720	720
मध्यमान (M)		73.00	72.76
मानक विचलन (SD)		14.86	15.01
क्रान्तिक निष्पत्ति ('t')		0.30	
निष्कर्ष	0.05 सार्थकता स्तर पर	सार्थक अन्तर नहीं है	
	0.01 सार्थकता स्तर पर	सार्थक अन्तर नहीं है	

$df = (N_1-1) + (N_2-1)$

df = (720-1) + (720-1) = 719 + 719 =1438

उपरोक्त सारणी क्रमांक 2 मे न्यादर्श में चयनित शोध क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में संचालित समावेशी शिक्षा के फलस्वरूप अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं के अधिगम स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव से सम्बधित प्रदत्त संकलित किये गये हैं। संकलित प्रदत्त प्राथमिक स्त्रोत पर आधारित है। सारणी में संकलित प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि शोध क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में संचालित समावेशी शिक्षा के फलस्वरूप अध्ययनरत् छात्रों के अधिगम स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव में सार्थकता का औसत मध्यमान 73.00 है तथा मानक विचलन 14.86 है और छात्राओं के अधिगम स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का औसत मध्यमान 72.76 है तथा मानक विचलन 15.01 है।

अध्ययन के अनुसार 0.01 विश्वास स्तर पर मानक मान 2.58 और 0.05 विश्वास स्तर पर मानक मान 1.96 है, जबकि इस शोध में पाया गया सांख्यिकीय मान 0.30 है, जो इन दोनों विश्वास स्तरों के मानकों से कम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अनुसंधान क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में संचालित समावेशी शिक्षा के परिणामस्वरूप छात्र और छात्राओं के अधिगम स्तर पर पड़े प्रभाव में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। अतः परिकल्पना स्वीकृति होती है।

निष्कर्ष

- शोध क्षेत्र में शामिल 83.33 प्रतिशत प्राचार्य, 86.11 प्रतिशत शिक्षक, 76.39 प्रतिशत अभिभावक व 78.61 प्रतिशत छात्रों की यह राय है कि उनके क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में संचालित समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन, छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर पर प्रभावशाली रूप से सकारात्मक असर डाल रहा है। यह आंकड़े इस बात को रेखांकित करते हैं कि समावेशी शिक्षा के प्रयास न केवल कागजी तौर पर प्रभावी साबित हो रहे हैं, बल्कि वास्तविकता में भी छात्रों के समग्र अधिगम को उच्चतर स्तर तक पहुंचाने में सहायक हो रहे हैं।
- अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट है कि 0. 01 विश्वास स्तर पर मानक मान 2.58 और 0.05 विश्वास स्तर पर मानक मान 1.96 निर्धारित किए गए हैं। इसके विपरीत, इस शोध में जो सांख्यिकीय मूल्य प्राप्त हुआ, वह 0.30 है, जो इन दोनों विश्वास स्तरों के मानकों से काफी कम है। इन निष्कर्षों के आधार पर यह संकेत मिलता है कि अनुसंधान के तहत अध्ययन किए गए माध्यमिक विद्यालयों में लागू की गई समावेशी शिक्षा का छात्रों और छात्राओं के अधिगम स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव में कोई विशेष या महत्वपूर्ण अंतर दर्ज नहीं किया गया है। इससे यह भी परिलक्षित होता है कि समावेशी शिक्षा के परिणामस्वरूप छात्रों के शिक्षण स्तर में समान प्रकृति का प्रभाव देखने को मिला, जो सांख्यिकीय दृष्टि से उल्लेखनीय भिन्नता प्रदर्शित नहीं करता।

संदर्भ

1. कपूर, सुमिता एवं अग्रवाल, देवेन्द्र कुमार (2024) : समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर पर सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं समायोजन का अध्ययन, International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT). 12(9); 510-514.
2. कपिल, एच.के. (1996) : सांख्यिकी के मूल तत्व, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा.
3. अग्रवाल, आर. एवं अरीना, विपिन (1989) : मनोविज्ञान एवं शिक्षा में मापन व मूल्यांकन, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा.
4. खुल्लर, के.के. (1988) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई दिल्ली विज्ञापन एवं दृष्य प्रसार निर्देशालय.
5. गुप्ता, एस.पी. (1997) : सांख्यिकी विधियाँ, शारदा पुस्तक भवना, इलाहाबाद.
6. त्रिवेदी, रोहित कुमार (2025): माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन, National Journal of Multidisciplinary Research and Development, Volume 10, Issue 2, Page No. 46-49.
7. गुप्ता, सुनील कुमार एवं मिश्र, पतंजलि (2023): माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं की संवेगात्मक बुद्धि का तुलनात्मक अध्ययन, International Journal of Literacy and Education; 3(1): 146-149.
8. शर्मा दिलीप कुमार (2020) : समावेशी शिक्षा में शिक्षकों के अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन जनरल ऑफ आर्ट ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस व ल्यूम 3.
9. कुंडु, ए., एवं राइस, एम. (2019): माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन के प्रति भारतीय शिक्षकों की धारणाएँ. ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पेशल एजुकेशन, 46(2).

10. जैन, दीपक (2025): समावेशी शिक्षा में अध्यापकों का उत्तरदायित्व एवं भूमिका : एक समीक्षात्मक अध्ययन, International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR), 7(3): 1-6.
11. पांडा, एस.एस., मल्ला, एल., एवं पुहां, आर. आर. (2023): माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों का समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण. अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं शोध पत्रिका.